न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

निगरानी संख्या 01/2022

पंचायत समिति केकड़ी जरिये ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत रामपाली, जिला अजमेर

.....निगरानीकर्ता

बनाम

स्व0 श्री रामस्वरूप पुत्र स्व0 श्री कजोड़, जाति ब्राम्हण, निवासी ग्राम रामपाली, पंचायत समिति केकड़ी, जिला अजमेर जरिये विधिक वारिसान

1. श्री बाबूलाल
2. श्री बजरंग लाल
3. श्री राजेन्द्र

पुत्रगण स्व0 श्री रामस्वरूप

समस्त निवासीगण ग्राम व ग्राम पंचायत रामपाली, पंचायत समिति केकड़ी, जिला अजमेर

.....अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज0 अधिनियम 1994

———

उपस्थित :–

1– श्री राजीव सक्सेना, वकील निगरानीकर्ता की ओर से।

2– श्री सी0पी0 शर्मा, वकील गैर निगरानीकार की ओर से।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर सत्यमेव जयते अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

–: आदेश :–

दिनांक–06.09.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि सरपंच ग्राम पंचायत रामपाली पंचायत समिति केकड़ी जिला अजमेर द्वारा ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर अप्रार्थीगण के पिता श्री रामस्वरूप पुत्र श्री कजोड़, निवासी ग्राम रामपाली के पक्ष में दिनांक 28.02.1984 को आबादी भूमि का भूखण्ड पट्टा संख्या 1 क्षेत्रफल 150 वर्ग गज जारी कर दिया। निगरानीकार ने ग्राम पंचायत, रामपाली द्वारा अप्रार्थीगण के पिता श्री रामस्वरूप पुत्र श्री कजोड़, निवासी ग्राम रामपाली के पक्ष में जारी किए गये विवादित पट्टे को विभिन्न कारणों से विधि विरूद्ध मानते हुए यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की है। निगरानी पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया व अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी

किये गये। अप्रार्थीगण जरिये वकील उपस्थित हुए तथा जवाब नोटिस पेश किया। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

बहस प्रारंभ होने से पूर्व वकील अप्रार्थीगण द्वारा मियाद के बिन्दु पर प्रारंभिक एतराज दर्ज करवाते हुए कथन किया कि निगरानीकार द्वारा निगरानी बाद भारी मियाद पेश की गई है। उनका कथन है कि विवादित पट्टा विलेख दिनांक 28.02.1984 को विधिवत रूप से जारी किया गया है जिसकी जानकारी निगरानीकार को प्रारम्भ से ही थी। ऐसे विवादित प्रकरण में निगरानी प्रस्तुती हेतु 90 दिवस की मियाद अवधि निश्चित है। इसके उपरान्त भी आक्षेपीय पट्टा जारी होने के पश्चात 38 वर्षों के अमर्यादित विलम्ब से निगरानी याचिका पेश की गई है एवं विलम्ब से माफी के लिये कोई आवेदन पत्र सशपथ प्रस्तुत नहीं किया है तथा न ही विलम्ब का कोई संतोषजनक कारण दर्शाया गया है। स्वयं निगरानीकार द्वारा आक्षेपित पट्टा विधिवत जारी किये जाने की स्वीकारोक्ति की गई है। 38 वर्षों के बाद इस आधारहीन निगरानी के आधार पर पट्टा निरस्त नहीं किया जा सकता बल्कि सक्षम सिविल न्यायालय को पट्टा निरस्त करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः निगरानी याचिका भारी मियाद बाहर होने से निरस्त योग्य है। वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विरोध करते हुए वकील निगरानीकार ने कथन किया कि धारा 97 के तहत निगरानी पेश करने की मियाद निर्धारित नहीं है। धारा 97(3) में 90 दिवस की अवधि धारा 97(1) में पारित आदेश को पुनःर्विलोकन करने की है न कि निगरानी पेश करने की है। उन्होंने यह भी कथन किया कि निगरानी सुनने का अधिकार माननीय न्यायालय को है वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत तर्क आधारहीन है। निगरानी गुणावगुण पर निर्णित की जावे।

हमने उभयपक्ष के वकीलों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा 97 के तहत निगरानी पेश करने की कोई मियाद निर्धारित नहीं है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97(1) में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि "राज्य सरकार स्वप्रेरण से या किसी भी हितबद्व व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्ही भी कार्यवाहियों के संबंध में किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थाई समिति या उप समिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिये मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और यदि किसी मामले में राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया, उत्तर दिया या पुनःर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिये तो यह तद्नुसार आदेश पारित कर सकेगी।" इससे स्पष्ट है कि धारा 97(1) में निगरानी प्रस्तुत करने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। अतः वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों को खारिज करते हुए निगरानी गुणावगुण पर निर्णित करने का निश्चय किया गया।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। वकील निगरानीकार ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए कथन किया कि आक्षेपीय पट्टा ग्राम पंचायत रामपाली द्वारा विधि के प्रावधानों के अनुसार पंचायत की

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर
सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

आबादी भूमि में तत्कालीन ग्राम सेवक व सरपंच द्वारा जारी किया गया था। पट्टे में वर्णित भूखण्ड का सीमाज्ञान अपुष्ट होने एवं भूखण्ड का हिस्सा सार्वजनिक मार्ग को प्रभावित करने से ग्रामीणों को आवागमन में असुविधा होती है। ग्राम पंचायत में शिकायतों पर जांच में ज्ञात हुआ कि आक्षेपित पट्टे का भूखण्ड सार्वजनिक मार्ग में स्थित ही नहीं है। उनका कथन है कि आक्षेपित पट्टा ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में जारी किया गया है एवं भूखण्ड का भाग सार्वजनिक मार्ग में नहीं होते हुए भी अप्रार्थीगण द्वारा सार्वजनिक मार्ग अवरूद्ध व अतिक्रमित किया जा रहा है। इस कल्पित भूखण्ड के मध्य में से बस स्टैण्ड रामपाली से अजगरी गांव के लिये जाने का एक मात्र सार्वजनिक मार्ग गुजरता है, जिसका समस्त ग्रामवासी गत 40 वर्षों से बिना किसी अवरोध के उपयोग–उपभोग करते आ रहे हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर मौका मुआयना कर मौका रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें उक्त तथाकथित भूखण्ड पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं पाया गया एवं ना ही कोई निर्माण आदि किया हुआ है। सार्वजनिक मार्ग पर ग्राम पंचायत द्वारा नरेगा के अन्तर्गत पक्की सड़क का निर्माण प्रस्तावित है किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा जबरदस्ती तारबन्दी करने की कोशिश करके सड़क निर्माण में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। इस हेतु अप्रार्थीगण को ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 16.12.2021 को नोटिस जारी किया गया। उक्त भूखण्ड का पट्टा स्वयं ही अवैध व शून्य होने से निरस्त योग्य है क्योंकि अप्रार्थीगण के ग्राम की आबादी भूमि में स्वयं के रिहायशी आवासीय मकान निर्मित हैं एवं वे कई वर्षों से निवास करते आ रहे हैं। अन्त में उन्होंने कथन किया कि निगरानी याचिका स्वीकार कर अप्रार्थीगण के पिता श्री रामस्वरूप/पट्टाधारी के पक्ष में जारी किया गया आक्षेपीय विक्रय विलेख पट्टा संख्या 1 दिनांक 28.02.1984 निरस्त किया जावे।

वकील निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील अप्रार्थीगण का कथन है कि निगरानीकार द्वारा निगरानी में समस्त गलत तथ्य अंकित किये गये हैं। ग्राम पंचायत रामपाली द्वारा अप्राथीगण के पिता/पट्टाधारी के पक्ष में आक्षेपीय पट्टा विधिवत जारी किया गया है एवं सार्वजनिक मार्ग में स्थित नहीं है, जिसकी स्वीकारोक्ति निगरानीकार द्वारा निगरानी याचिका में की गई है। उनका कथन है कि निगरानीकार ने आक्षेपीय पट्टा ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में जारी किये जाने एवं भूखण्ड का भाग सार्वजनिक मार्ग की भूमि में नहीं होने का कथन किया है, साथ ही निगरानीकार ने सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किये जाने का उल्लेख करते हुए भूखण्ड कल्पित होना बताया है जो कि विरोधाभासी कथन है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थीगण के पिता के पक्ष में आक्षेपीय पट्टा जारी किया गया है जो कि वर्तमान में मौके पर स्थित है। उन्होने आगे कथन किया कि निगरानीकार ने एक ओर तो भूखण्ड पर किसी प्रकार का कोई कब्जा व निर्माण नहीं होने का कथन किया है वहीं दूसरी ओर अप्रार्थीगण द्वारा अतिक्रमण किये जाने का भी उल्लेख किया है जो अपूर्ण, असत्य व निराधार कथनों से परिपूर्ण है। निगरानीकार ने वाद का कारण दिनांक 06.12.2021 को ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 2 से आरम्भ होना बताया है जो कि असत्य, मिथ्या व मनगढंत कथन है क्योंकि उनके द्वारा आक्षेपीय पट्टा दिनांक 28.02.1984 को अप्रार्थीगण के पिता के पक्ष में जारी किये जाने का अंकन किया है। लगभग 38 वर्षों बाद अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना प्रस्ताव पारित कर वाद

न्यायालय अपर जिला कलक्टर सत्यमेव जयते अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

कारण का आधार मिलीभगती से बनाना प्रतीत होता है जो विधि विरूद्ध है। वकील अप्रार्थीगण का कथन है कि निगरानीकार ने तत्कालीन सरपंच व ग्राम सेवक का स्वर्गवास होने से पक्षकार निरूपित नहीं करने का तथ्य अंकित किया है जबकि विधिक स्थिति यह है कि प्रस्तुत प्रकरण में उन्हे व्यक्तिशः पक्षकार निरूपित नहीं कर पद की हैसियत से पक्षकार निरूपित किया जाना चाहिये था। सरपंच व ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत रामपाली को आवश्यक पक्षकार निरूपित किये बिना नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी के विधिक प्रावधानों के तहत निगरानी संधारण योग्य नहीं होने से निरस्तनीय है। अन्त में उन्होने कथन किया कि निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आक्षेपीय पट्टा तत्कालीन ग्राम सेवक व सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 28.02.1984 के अनुसरण में विधि के प्रावधानों के अनुसार पंचायत की आबादी भूमि में निःशुल्क जारी किया गया है किन्तु यह भी स्पष्ट है कि पट्टाधारी अथवा अप्रार्थीगण द्वारा आक्षेपीय पट्टे में वर्णित आवासीय भूखण्ड पर किसी प्रकार का कोई कब्जा एवं कोई मकान आदि का निर्माण किया हुआ नहीं है। इस प्रकार पट्टाधारी/अप्रार्थीगण द्वारा आक्षेपीय पट्टा जारी करने के पश्चात व वर्तमान में भी आवासीय भूखण्ड पर किसी प्रकार का कब्जा व आवास निर्माण नहीं होने के कारण आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत रामपाली द्वारा पट्टाधारी/अप्रार्थीगण के पिता के पक्ष में जारी आबादी भूमि का विक्रय विलेख पट्टा संख्या 01 दिनांक 28.02.1984 निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 06.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर
अजमेर

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर,अजमेर